15

संख्या– ✓ /XVIII(1)/2016-1/2006

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च, 2016

विषयः– तहसील गजा, नरेन्द्रनगर, टिहरी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4513/पॉच/रा0परि0/2015–16 दिनांक 21 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या–164/XVIII(1)/2015 दिनांक 31 जनवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील गजा, नरेन्द्रनगर, टिहरी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु ई0एफ0सी0 (व्यय वित्त समिति) के अनुमोदन की प्रत्याशा में शासनादेश संख्याः–16/18(1)/2006 दिनॉक 17 जुलाई, 2006 एवं शासनादेश संख्याः–288/18(1)/2007 दिनॉक 14 मार्च, 2008 द्वारा क्रमशः ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 23.44 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 73.44 लाख के सापेक्ष ब्याज सहित जिलाधिकारी, टिहरी के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि कुल ₹ 83,86,066/– में से प्रथम चरण के कार्य हेतु ₹ 5.98 लाख की अवमुक्त धनराशि के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 7788066/–(₹ सतहत्तर लाख अट्ठासी हजार छियासठ मात्र) की अग्रिम स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत धनराशि को नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. **प्रश्नगत निर्माण कार्यो पर व्यय वित्त समिति की संस्तुति/अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत अग्रिम धनराशि का समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग **सर्वप्रथम अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु** किया जाय।
3. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय और विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
5. प्रत्येक निर्माण कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कराया जाय, यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 किया जाय।
6. निर्माण कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित एवं सघन समीक्षा/अनुश्रवण किया जाय। व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति की आख्या निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2–

7. प्रत्येक निर्माण कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कराया जाय, यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 किया जाय।
8. उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय। मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–185P/XXVII(5)/15-16 दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या–1960/XVIII(1)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार आडिट वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी।
5. बरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव